

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)()डीएलबी / 22 / ६४)

दिनांक: ६/५/२०२२

अधिसूचना

जावरूपन
विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सप्तित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानकों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार निम्नांकित सम्पूर्ण ग्राम पंचायत क्षेत्र को एतद द्वारा तत्काल प्रभाव से चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित करती है :-

| काल प्रभाव संचय अणा का नगर पालिका कार्यक्रम | | | |
|---|--------|-------------------------|---|
| क्र.सं. | जिला | नवगठित पालिका का नाम | नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र |
| 01. | बाडमेर | सिवाना | ग्राम पंचायत सिवाना की सीमा क्षेत्र जनगणना 2011 के अनुसार (जनसंख्या -24,387) सीमा क्षेत्र |

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट प्रस्ताव 2022-23 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सिवाना की विधमान सीमाएं ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेगी।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हृदेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

Digitized by srujanika@gmail.com

दिनांक: ६/५/२०२२

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)()डीएलबी/22/ ६४२-६८

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- प्रतिलिपि रूप संग्रह :

 01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
 02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
 03. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
 04. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग राज. जयपुर।
 05. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य वित आयोग, राज. जयपुर।
 06. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
 07. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
 08. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त नवगठित नगरपालिका में समिलित किये गये ग्राम पंचायत क्षेत्र को पंचायत सीमा से पृथक किये जाने के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव, को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवावा जाना सुनिश्चित करें।
 09. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर।
 10. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
 11. संभागीय आयुक्त जोधपुर/जिला कलकटर बाडमेर राजस्थान।
 12. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर।
 13. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 20 प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
 14. समरत अधिकारीगण एवं अनुभाग, निदेशालय राज. जयपुर।
 15. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समरत राजस्थान।
 16. नोडल ऑफिकारी, वेबसाईट, निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
 17. सरपंच /उपसरपंच/ सचिव, संबंधित ग्राम पंचायत सिवाना जिला बाडमेर।
 18. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथूर)

वरिष्ठ संयक्त विधि परामर्शी